

(170)

फॉर्मेट सी-1

(अभ्यर्थियों के लिए समाचार पत्रों, टी.वी. में प्रकाशन हेतु)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार)

अभ्यर्थी का नाम एवं पता: सज्जन सिंह वर्मा, 122 पलसीकर कालोनी इन्दौर

राजनैतिक दल का नाम: इंडियन नेशनल कांग्रेस

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां निर्दलीय लिखें)

निर्वाचन का नाम विधानसभा

निर्वाचन क्षेत्र का नाम: सोनकच्छ 170 (अ.जा.)

मैं सज्जनसिंह वर्मा उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता/करती हूँ:

क्रम सं.	लंबित आपराधिक मामले			आपराधि मामलो के लिए दोषसिद्धि के मामलो के संबंध में विवरण	
	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(ए) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण
	गोपालपुर जिला सिहोर	SCPPM 08/2022 लंबित	188/269/270/336/51/3/5 षडयंत्र पूर्वक निर्माणधीन नदी के पुल पर बगेर टेस्टिंग के वाहन निकालने बाबंद एतत आधार पर अपराध क 197/2021 दर्ज किया गया	लागु नहीं होता	लागु नहीं होता
	तुकोगंज इन्दौर	SCPPM 46756/2021 लंबित	188 माननीय कमलनाथ जी के विरुद्ध हुई FIR के विरोध मे काली पट्टी बांधकर कोराना काल मे सडक पर विरोध एवं पुतला दहन।	लागु नहीं होता	लागु नहीं होता

राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी : (i) अलग-अलग पंक्तियों में प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग विवरण दें।

(ii) समाचार पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।